मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक–एफ–3/116/2018/18–5 भोपाल दिनांक 13/04/2022

प्रति

1 आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल ।	2 कलेक्टर जिला–भोपाल
3 कलेक्टर जिला–सीहोर	4 आयुक्त नगर निगम भोपाल ।
5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका परिषद सीहोर ।	

विषयः– आर्द्र भूमि (संरक्षण व प्रबंध) नियम 2017 के परिपेक्ष्य में भोपाल एवं सीहोर विकास योजना के संबध में ।

———

उपरोक्त विषयांतर्गत कार्यपालन संचालक , एप्को एवं सदस्य सचिव, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण से प्राप्त पत्र क्रमांक 3944 दिनांक 17/03/2022 की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि वेटलैण्ड नियमानुसार एवं राज्य शासन के उपरोक्त आदेशानुसार गतिविधियों का पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्नःयथोपरि

(डॉ० शुभाशीष बैनर्जी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
आवक क्र. 2048
दिनांक 20/04/2022
शाखा
संयु. संचा. (स्था.) आयुक्त

ADIMP/

मध्य प्रदेश राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, एप्को
(पर्यावरण विभाग, म.प्र शासन)
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी,
भोपाल–462016
फोन : (0755) 2464318, 2466970
बेवसाईट : www.swa.mp.gov.in
पत्र क्र. 3944 MPSWA/एप्को/2022
दिनांक : 17/3/22

प्रति,

प्रमुख सचिव
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
भोपाल (म. प्र.)

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
आवक/अटटारह-5/201
क्रमांक 468 दिनांक 23-3-22

विषय – भोज वेटलैण्ड, भोपाल एवं उसके Zone of Influence (ZoI) की प्रमुख गतिविधियां बावत् ।
संदर्भ – म. प्र. शासन पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन आदेश दिनांक 16.03.2022 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें **(परिशिष्ट -1)**। भोज वेटलैण्ड एवं उसके ZoI के मानचित्र एवं तदनुसार Prohibited, Regulated & Permitted Activities के संबंध में पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील हैं।

भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत वेटलैण्ड नियम 2017 अधिसूचित किये गये हैं तथा इन नियमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा मार्गदर्शिका 2020 जारी की गयी है। वेटलैण्ड नियम देश के समस्त रामसर साइट्स एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वेटलैण्ड्स पर लागू होते हैं।

भोज वेटलैण्ड, भोपाल (रामसर साइट) पर वेटलैण्ड नियम के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने वेटलैण्ड नियम 2017 एवं मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार भोज वेटलैण्ड एवं उसके Zone of Influence (ZoI) के मानचित्र तैयार कर पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन को प्रस्तुत किये गये थे। **(उपरोक्त आदेश के साथ मानचित्र संलग्न)**

भोज वेटलैण्ड के उपरोक्त मानचित्रों का एवं भोज वेटलैण्ड बाउण्ड्री से 50 मी. बाउण्ड्री एवं भोज वेटलैण्ड के ZoI में Prohibited, Regulated & Permitted Activities का अनुमोदन राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की द्वितीय बैठक दिनांक 01.02.2022 में किया गया।

अनुरोध है कि कृपया वेटलैण्ड नियमानुसार एवं राज्य शासन के उपरोक्त आदेशानुसार गतिविधियों का पालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधितों को यथा निर्देशित करने का कष्ट करें।

16/03/22
(श्रीमन् शुक्ला)
कार्यपालन संचालक, एप्को एवं
सदस्य सचिव, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण

पृ. क्र. / **/ 2022 दिनांक**
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यपालन संचालक, एप्को एवं
सदस्य सचिव, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण

पत्र क्र. 2090/प्र.स./न.वि.आ.वि./2022
दिनांक 17.3.22

म. प्र. शासन

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

/ / आदेश / /

भोपाल,दिनांक 16 मार्च,2022

आदेश क्र 32 **/233 /2022/32-3**-भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के खण्ड (V) और उपधारा (3) के साथ पठित धारा 25 और धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेटलैण्ड नियम 2017 अधिसूचित किये गये हैं।

1. वेटलैण्ड नियम 2017 की धारा 3 (क) अनुसार वेटलैण्ड भोज वेटलैण्ड जो कि एक रामसर साइट है पर वेटलैण्ड नियम 2017 प्रभावशील हैं। नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भोज वेटलैण्ड एवं उसके Zone of Influence (ZoI) के आवश्यक – मानचित्र क्र.1, मानचित्र क्र.2 एवं मानचित्र क्र.3 जो इस आदेश के साथ परिशिष्ट अ- पर संलग्न है का अनुमोदन राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की दिनाक 01 फरवरी 2022 को संपन्न बैठक मे किया गया है। इन मानचित्रो के आधार पर वेटलैण्ड नियम 2017 एवं मार्गदर्शिका मे उल्लेख अनुसार वेटलैण्ड के भीतर एवं वेटलैण्ड बाउण्ड्री से 50 मी. की सीमा एवं इसके ZoI मे Prohibited, Regulated & Permitted गतिविधियों के निर्धारण के संबध में भी अनुशंसा की गयी है।
2. उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा भोज वेटलैण्ड की Full Tank Level (FTL) बाउण्ड्री एवं उससे 50 मी. की सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र एव ZoI को दर्शानेवाले मानचित्र क्र. 1, 2 एव 3 को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्त मानचित्रो के आधार पर भोज वेटलैण्ड का FTL पर क्षेत्रफल 3946.33 ha. (बड़ा तालाब 3872.43 ha. + छोटा तालाब 73.90 ha.) निर्धारित हुआ है की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. भोज वेटलैण्ड एवं इसके ZoI में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा कोलास नदी एव उनसे मिलने वाले नदी नालो (Major & Minor Streams) की दूरियों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित किये जाते हैं -
   - i. शहरी क्षेत्र की ओर BWL के FTL के आसपास 50मी .का बफर – **मानचित्र क्र.1**
   - ii. ग्रामीण क्षेत्र की ओर BWL के FTL के आसपास 250मी .बफर– **मानचित्र क्र. 2**
   - iii. कोलांस नदी के आसपास 250मी .बफर – **मानचित्र क्र.3**
   - iv. कैचमेंट प्रमुख स्ट्रीम के आसपास 50मी .बफर – **मानचित्र क्र.3**
   - v. कैचमेंट के माइनर स्ट्रीम के आसपास 09मी .बफर – **मानचित्र क्र.3**
4. वेटलैण्ड के अन्दर, FTL से 50 मी. की दूरी मे एव ZoI मे Prohibited, Regulated & Permitted गतिविधियों को निम्नानुसार प्रभावी किया जाता है -

A. प्रतिबंधित गतिविधियां (Prohibited Activities)

वेटलैण्ड नियम 2017 का पालन सुनिश्चित करने हेतु भोज वेटलैण्ड एव उसके ZoI मे Prohibited गतिविधियों का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है। भोज वेटलैण्ड के Full Tank level (FTL) से 50 मी. तक निर्माण व अन्य गतिविधिया निम्नानुसार पूर्णत: प्रतिबधित की जाती हैं –

i. Conversion for non-wetland uses including encroachment of any kind;	i. किसी भी किस्म के अतिक्रमण सहित गैर वेटलैण्ड उपयोग हेतु परिवर्तन
ii. Setting up of any industry and expansion of existing industries;	ii. किसी भी उद्योग को स्थापित करना एव विद्यमान उद्योगो का विस्तार करना
iii. Manufacture or handling or storage or disposal of construction and demolition waste covered	iii. निर्माण एव अपशिष्ट प्रबधन नियम 2016 के अतर्गत आने वाले निर्माण

C. अनुज्ञात गतिविधियां (Permitted Activities)-

वेटलैण्ड नियम 2017 का पालन सुनिश्चित करने हेतु भोज वेटलैण्ड एव उसके ZoI मे Permitted गतिविधियों का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा जारी वेटलैण्ड नियम क्रियान्वयन मार्गदर्शिका **(15-.क्र .पृ)** 2020 अनुसार ऐसी गतिविधियां जिनके कारण वेटलैण्ड के Wise Use की परिकल्पना साकार होती है, वेटलैण्ड एवं ZoI में Permit की जा सकती हैं। उपरोक्त मार्गदर्शिका अनुसार निम्नलिखित गतिविधियां भोज वेटलैण्ड और उसके ZoI मे Permitted Activities की श्रेणी में होंगी – i. Ecological rehabilitation and rewilding of nature; ii. Wetlands inventory, assessment and monitoring; iii. Research; iv. Communication, environmental education and participation activities; v. Management planning; vi. Habitat management and conservation of wetland-dependent species; vii. Community-based ecotourism (with minimum construction activities); viii. Harvesting of wetlands products within regenerative capacity; and, ix. Integrating wetlands as nature-based solutions for climate change mitigation and adaptation.	i. पारिस्थितिक पुनर्वास एव प्रकृति का पुनर्निमाण ii. वेटलैण्ड इवेन्ट्री मूल्यांकन एव मॉनीटरिंग iii. शोध कार्य iv. संप्रेषण, पर्यावरण शिक्षा और जन-भागीदारी कार्यकलाप v. प्रबंधन नियोजन vi. वेटलैण्ड आधारित पक्षियों का संरक्षण एवं उनके प्राकृतिक रहवास का प्रबंधन vii. समुदाय आधारित ईको-टूरिज्म (कम से कम निर्माण गतिविधियां सहित) viii. पुनर्योजी क्षमता अनुसार वेटलैण्ड के प्राकृतिक उत्पादो का संतुलित दोहन ix. जलवायु परिवर्तन समस्या के निदान के लिए प्राकृतिक संसाधन आधारित अनुकूलन एवं शमन हेतु वेटलैण्ड का एकीकरण

भोज वेटलैण्ड परियोजना अंतर्गत मानचित्र,प्रतिबंधित गतिविधियां,विनियमित गतिविधियां एवं अनुज्ञात गतिविधियों के संबंध में प्रशासकीय आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

म. प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग

पृ. क 303/ 233 /2022/32-3

भोपाल, दिनांक 16 मार्च,2022

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री पर्यावरण विभाग म. प्र. शासन
2. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म. प्र. शासन
3. अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग
4. अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, लो. स्वा. यां. विभाग
5. अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, कृषि विभाग

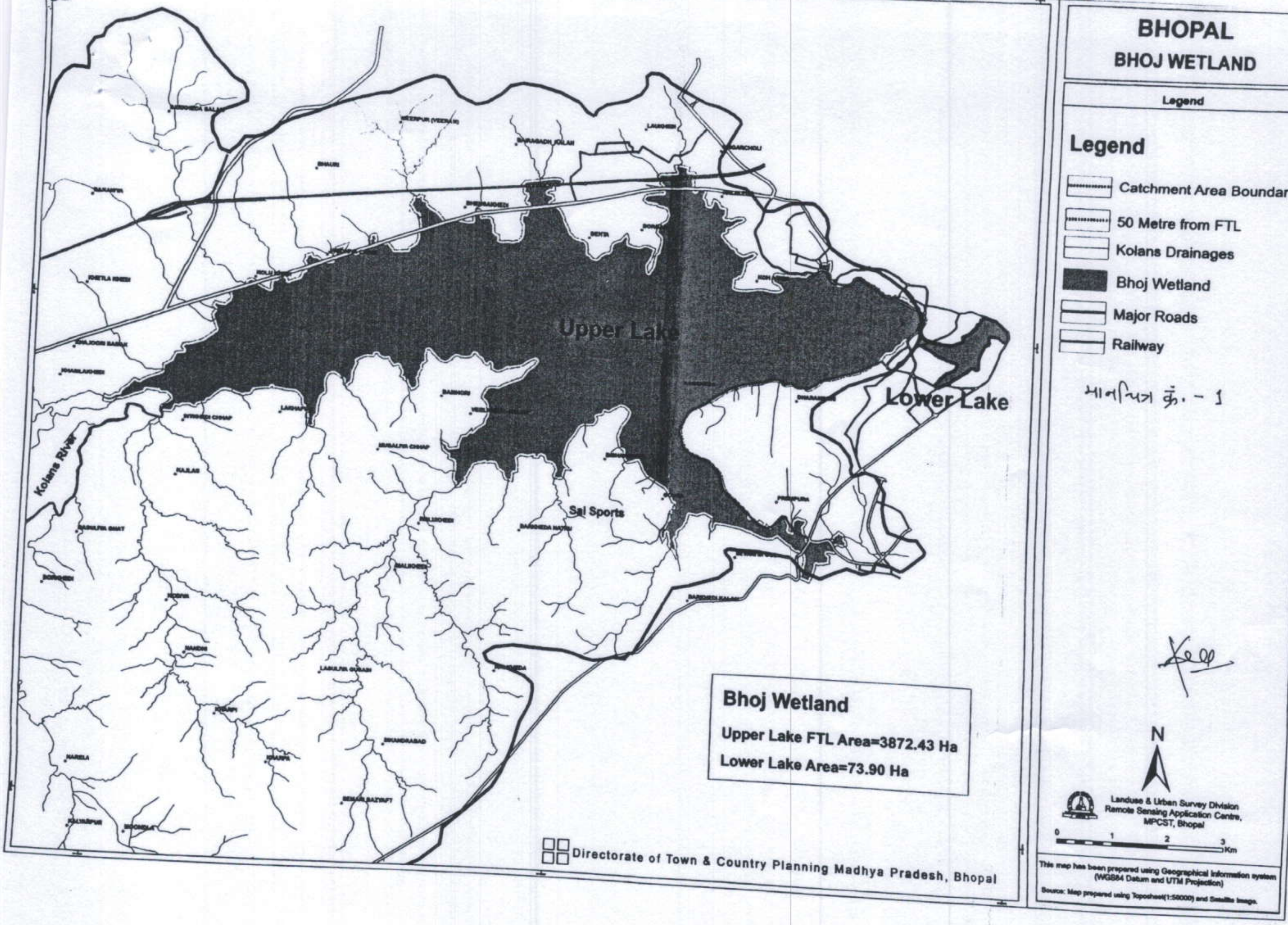
BHOPAL
BHOJ WETLAND
Legend
Legend
Catchment Area Boundary
50 Metre from FTL
Kolans Drainages
Bhoj Wetland
Major Roads
Railway
मानचित्र क्रं. - 1
Upper Lake
Lower Lake
Kolans River
Sai Sports
Bhoj Wetland
Upper Lake FTL Area=3872.43 Ha
Lower Lake Area=73.90 Ha
N
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre,
MPCST, Bhopal
0 1 2 3 Km
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
This map has been prepared using Geographical Information system (WGS84 Datum and UTM Projection)
Source: Map prepared using Toposheet(1:50000) and Satellite Image.

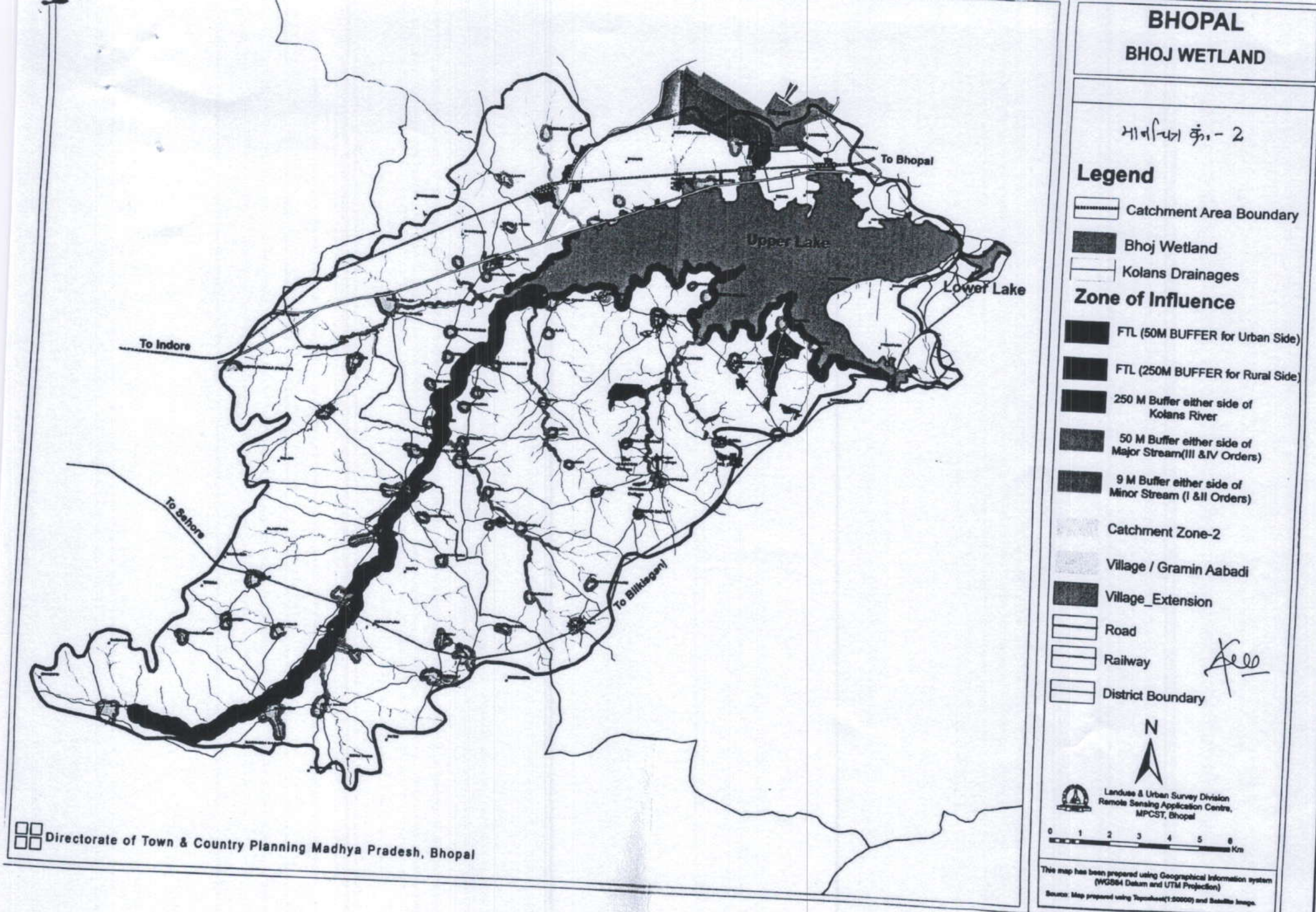
BHOPAL
BHOJ WETLAND
मानचित्र क्रं.- 2
Legend
Catchment Area Boundary
Bhoj Wetland
Kolans Drainages
Zone of Influence
FTL (50M BUFFER for Urban Side)
FTL (250M BUFFER for Rural Side)
250 M Buffer either side of Kolans River
50 M Buffer either side of Major Stream(III &IV Orders)
9 M Buffer either side of Minor Stream (I &II Orders)
Catchment Zone-2
Village / Gramin Aabadi
Village_Extension
Road
Railway
District Boundary
N
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre,
MPCST, Bhopal
0 1 2 3 4 5 6 Km
This map has been prepared using Geographical Information system (WGS84 Datum and UTM Projection)
Source: Map prepared using Toposheet(1:50000) and Satellite Image.
Upper Lake
Lower Lake
To Bhopal
To Indore
To Sehore
To Bilkisganj
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

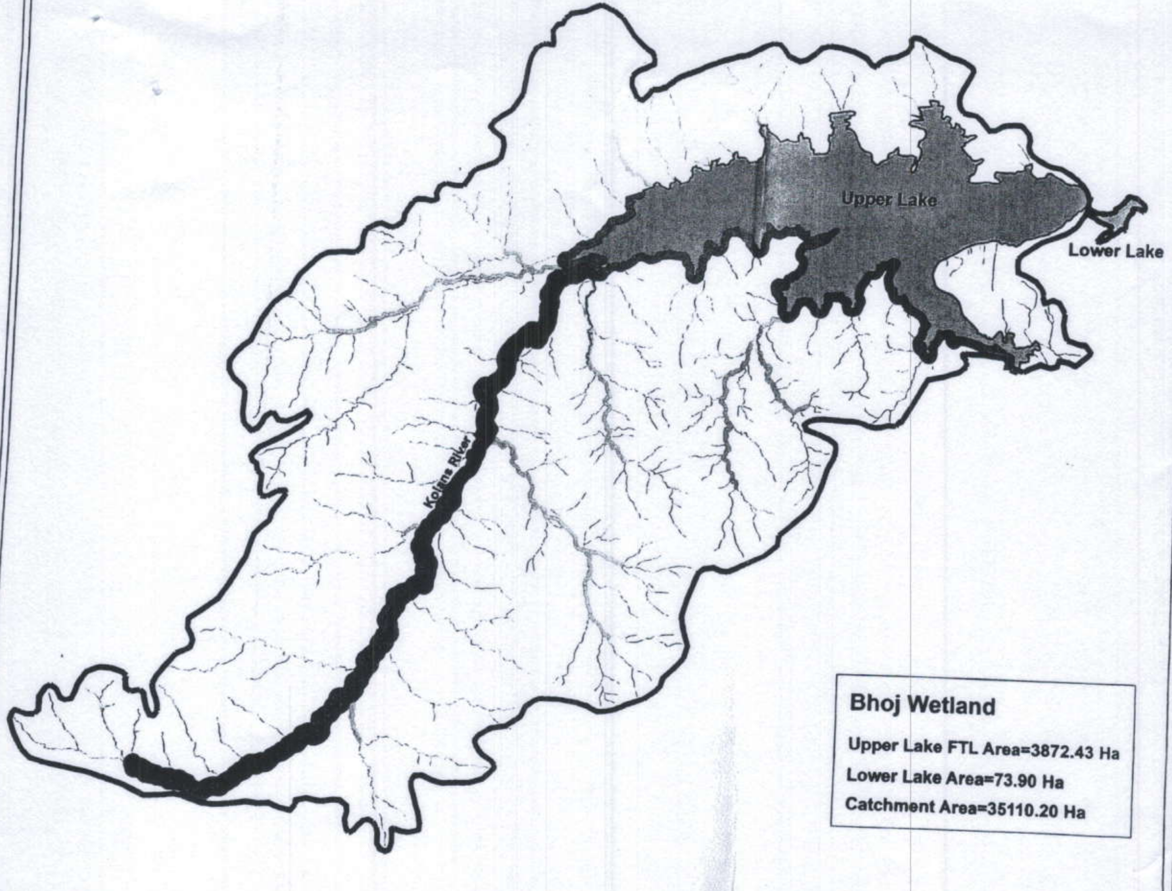

BHOPAL
BHOJ WETLAND
Zone of Influence

Legend

मानचित्र-क्र.-3

Legend

- Catchment Area Boundary
- Bhoj Wetland

Zone of Influence

- FTL (50M BUFFER for Urban Side)
- FTL (250M BUFFER for Rural Side)
- 250 M Buffer either side of Kolans River
- 50 M Buffer either side of Major Stream(III &IV Orders)
- 9 M Buffer either side of Minor Stream (I &II Orders)

N

Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre,
MPCST, Bhopal

0 1 2 3 4 5 6 Km

This map has been prepared using Geographical Information system (WGS84 Datum and UTM Projection)

Source: Map prepared using Toposheet(1:50000) and Satellite Image.

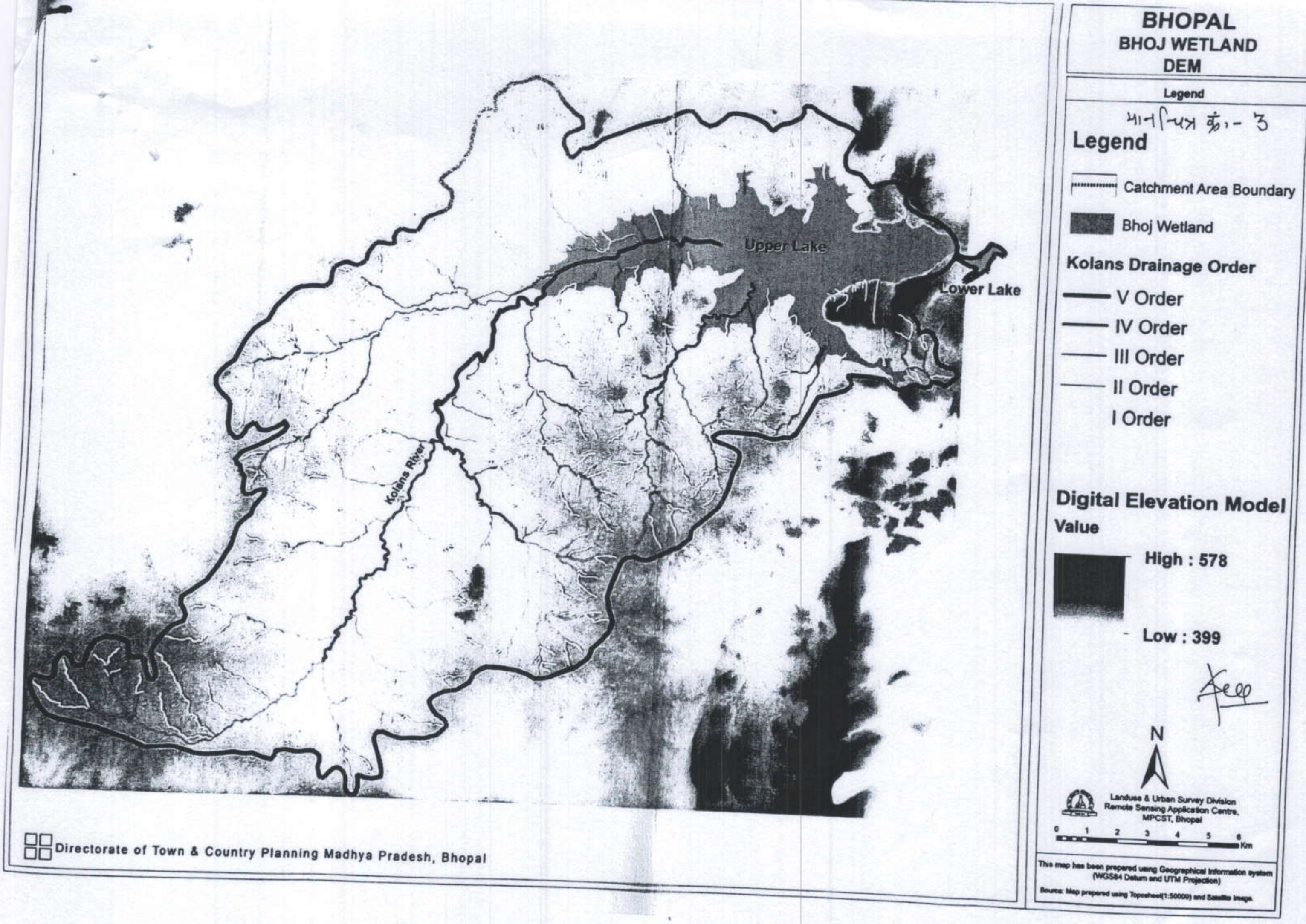

BHOPAL
BHOJ WETLAND
DEM
Legend
मानचित्र क्रं.- 3
Legend
Catchment Area Boundary
Bhoj Wetland
Kolans Drainage Order
V Order
IV Order
III Order
II Order
I Order
Digital Elevation Model
Value
High : 578
Low : 399
N
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre,
MPCST, Bhopal
0 1 2 3 4 5 6 Km
This map has been prepared using Geographical Information system
(WGS84 Datum and UTM Projection)
Source: Map prepared using Toposheet(1:50000) and Satellite Image.
Upper Lake
Lower Lake
Kolans River
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal